कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद उधम सिंह नगर।

ईमेल–cfoudn.ukfs@gmail.com,

पत्रांक: न–3/एफ0एस0/ऑनलाईन/2021 दिनांक अगस्त 15, 2021

स्वामी/प्रबन्धक
मै0 पुलिस मार्डन स्कूल
31 पी0ए0सी0 रूद्रपुर,
ऊधम सिंह नगर।

विषय :– **अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।**

आपके ऑनलाईन आवेदन यूआईडी नं0–88824201 दिनांक 04–08–2021 के अनुसार मै0 पुलिस मार्डन स्कूल 31 पी0ए0सी0 रूद्रपुर, ऊधम सिंह नगर की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी अग्निशमन अधिकारी रूद्रपुर द्वारा किया गया। प्रभारी अग्निशमन अधिकारी रूद्रपुर की निरीक्षण आख्या के अनुसार स्थापित अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में हैं।

निर्देशित किया जाता है कि अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे। इकाई के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर तद्नुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था करनी होगी। प्रत्येक वर्ष इस कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीनीकृत कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र नवीनीकृत नहीं कराये जाने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा।

अतः मै0 पुलिस मार्डन स्कूल 31 पी0ए0सी0 रूद्रपुर, ऊधम सिंह नगर को अग्निशमन सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 15 अगस्त 2021 से 14 अगस्त 2022 तक इस आधार पर प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक होगाः–

1 सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैटबैक तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाय।
2 आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।
3 सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अतिरिक्त अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाय कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती। अतः प्रबन्धन को अग्निरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4 भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वैंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन संबंधित अधिकारी से कराया जाय।
5 संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कार्यालय से मानचित्र अनुमोदित करवाकर मानक के अनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था की जानी आवश्यक होंगी।
6 विद्युत स्विच वोर्ड/विद्युत पैनल के आस–पास किसी भी प्रकार की सामग्री का भण्डारण नही किया जाएगा, भण्डारण किये जाने पर यह प्रबन्धन की लापरवाही मानी जाएगी तथा भविष्य में अग्निदुर्घटना घटित होने पर बीमा दावे हेतु सस्तुति नही की जाएगी।
7 विद्यालय में कम्प्यूटर लैब एवं अन्य लैब संचालित किये जाने की दशा में कम्प्यूटर लैब में 02 अदद सीओ2 फायर एक्सटिंग्यूशर, अन्य लैब में 02 अदद एबीसी फायर एक्सटिंग्यूशर तथा 04 अदद सैण्ड बकेट का प्राविधान आवश्यक होगा। जनरेटर के पास एक अदद एबीसी फायर एक्सटिंग्यूशर एवं 04 अदद सैण्ड बकेट निर्धारित प्लेटफार्म में रखने की व्यवस्था की जाय।

18/08/2021
Commandant/President
Police Modern School (83019)
31bn. P.A.C., Rudrapur (U.S.N.)

वंश बहादुर यादव
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
ऊधम सिंह नगर

Scanned with CamScanner